बिहार में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून की तैयारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी** ने कहा कि राज्य सरकार **परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिये सख्त कानून** लाएगी।

- **नया कानून** राज्य विधानमंडल के **आगामी मानसून सत्र** में विधानसभा द्वारा पारित किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार ने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका **उद्देश्य** देश भर में आयोजित **लोक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना** है।

मुख्य विशेषताएँ:

- केंद्र सरकार ने पहले ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसका **उद्देश्य** देश भर में आयोजित **लोक परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकना** है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
    - यह अनुचित साधनों से संबंधित विभिन्न अपराधों को परिभाषित करता है, जैसे-**पेपर लीक, फर्ज़ी वेबसाइटों का प्रयोग और सेवा प्रदाताओं के साथ मिलीभगत।**
    - यह सख्त दंड निर्धारित करता है, जिसमें **न्यूनतम 3-5 वर्ष के कारावास की अवधि** और **1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना** शामिल है।
    - यह परीक्षा संचालन के लिये लगे **सेवा प्रदाताओं को 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने** और **सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष के प्रतिबंध** के साथ उत्तरदायी ठहराता है।
    - यह अधिनियम **पुलिस उपाधीक्षक** या **सहायक पुलिस आयुक्त** के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है। यह **यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)** द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं सहित केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं की एक विस्तृत शृंखला को कवर करेगा।

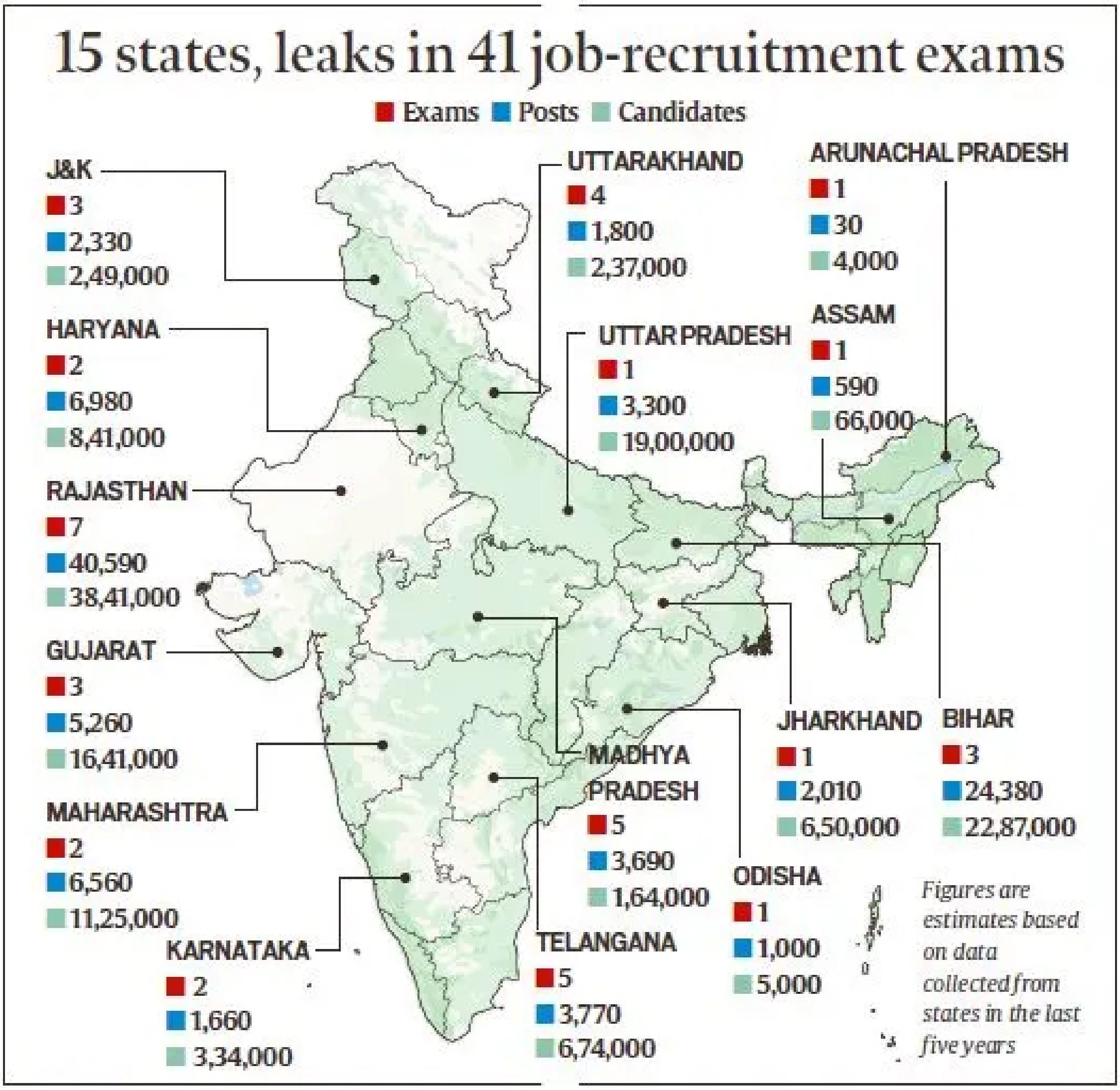

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-to-bring-stringent-law-against-paper-leaks